फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 198/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/204) **कृष्णा माइन्स एंड मिनरल्स् बनाम श्रीमती किरण देवी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.05.2024	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री सम्पतलाल बोहरा, परमेश्वर पड़्या - वकील अपीलार्थी 2. श्री नरपतसिंह चुण्डावत - वकील प्रत्यर्थी-1 से 3 3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी-4 **अनवान** **1. श्री कृष्णा माइन्स एण्ड मिनरल्स् भागीदार श्री सुनिल पिता श्री भेरूलाल कलाल, निवासी बापूनगर, देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद।** **2. श्रीमती गीता देवी पत्नि श्री भेरूलाल कलाल, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद।** **अपीलार्थी** **1. श्रीमती किरण देवी पुत्री श्री शेषमल पत्नि श्रीमती धनपत कुमार मेवाड़ा, निवासी दोलपुरा, हाल सोजतसिटी, पाली जिला पाली।** **2. सुश्री डिम्पल पुत्री श्री शेषमल कलाल, निवासी दोलपुरा, तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद।** **3. श्रीमती जमु पत्नि श्री शेषमल कलाल, निवासी दोलपुरा, तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद।** **4. श्री मुकेश कुमार पिता शेषमल कलाल, निवासी दोलपुरा, तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद।** **5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमंद।** **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद, बप्रकरण संख्या 33/2012 निर्णय दिनांक 16.07.2015 (अनवान श्रीमति किरण देवी व अन्य बनाम श्रीमती जमु देवी व अन्य)** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 06.05.2024 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद, बप्रकरण संख्या 33/2012 निर्णय दिनांक 16.07.2015 (अनवान श्रीमति किरण देवी व अन्य बनाम श्रीमती जमु देवी व अन्य) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- ● अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद समक्ष वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 व 2 श्रीमती किरण देवी एवं डिम्पल द्वारा तहसीलदार, देवगढ़ द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 585 दिनांक 04.09.1998 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर निवदेन किया कि उसके पिता श्री शेषमल की वह दो पुत्रियां होकर उसके भाई श्री मुकेश एवं उनकी पत्नि श्रीमती जमु देवी वारिसान है, परन्तु श्री शेषमल के देहान्त उपरान्त श्री मुकेश एवं श्रीमती जमुदेवी द्वारा श्री शेषमल की खातेदारी भूमि का नामान्तरकरण केवल उनके पक्ष में स्वीकृत करा लिया जबकि श्री शेषमल की खातेदारी भूमि में प्राकृतिक वारिसान होने से उनका भी हित निहित है। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी उनको कभी नहीं थी, जानकारी होते ही अपील अन्तर्गत धारा-75 मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद समक्ष वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 व 2 श्रीमती किरण देवी एवं डिम्पल द्वारा तहसीलदार, देवगढ़ द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 585 दिनांक 04.09.1998 को निरस्त	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 198/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/204) **कृष्णा माइन्स एंड मिनरल्स् बनाम श्रीमती किरण देवी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

फरमाया जावें क्योंकि वक्त नामान्तरकरण श्री शेषमल के वारिसान की जांच नहीं की गई जबकि हिन्दु विधि के अनुसार उनका भी श्री शेषमल की भूमि बराबर हिस्सा निहित है।

- अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.07.2015 से उक्त अपील स्वीकार करते हुए तहसीलदार, देवगढ़ का उक्त नामान्तरकरण संख्या 585 दिनांक 04.09.1998 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार को इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया कि विधिक वारिसान की जांच कर विधि सम्मत नामान्तरकरण की कार्यवाही अमल में लाई जावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद के उक्त निर्णय दिनांक 16.07.2015 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष अपील पेश की। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम एवं दफा 96 जादी का प्रस्तुत किया जिस पर आपत्ति आरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात् न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 1485 दिनांक 06.09.2023 के क्रम में जिला राजसमंद का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से प्रकरण स्थानांतरित होकर प्राप्त हुआ जिसे दिनांक 11.09.2023 को दर्ज रजिस्टर हुई। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 03.05.2024 को अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित, प्रत्यर्थी-4 के ओर से राजकीय पेरोकार एवं अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 से 3 उपस्थित। अन्य रेस्पोडेंटस् की ओर से बावजुद सूचना कोई उपस्थित नहीं। उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सूनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रत्यर्थी-1 व 2 द्वारा तहसीलदार द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 585 दिनांक 04.09.1998 के 14 वर्षो बाद अपील पेश की गई, जिसके साथ धारा-5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया, जिसमें अंकित कारण संतोषप्रद नहीं होने उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील की मयाद को उपशमित की जबकि प्रावधानोनुसार अपील प्रस्तुत करने में हुए प्रत्येक दिन के कारणों को स्पष्ट किया जाना होता है जो नहीं किया गया था। ऐसे में मयाद के बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून के विरूद्ध निर्णय पारित किया। विवादित भूमियां प्रत्यर्थी-3 व 4 नाम दर्ज थी तथा कब्जा भी उनका ही चला आ रहा था, कुल खातों की जमीन स्थित है। मौजा दौलपुरा, तहसील देवगढ़ में खाता संख्या 295 में कुल किता 5 आराजीयात रकबा 26 बीघा 14 बिस्वा, खाता संख्या 292 में कुल किता 1 रकबा 20 बीधा 18 बिस्वा व खाता संख्या 76 में कुल किता 6 आराजीयात रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा भूमि स्थित है। खाता संख्या 76 में मुकेश एवंज मु का 1/5 हिस्सा है यानि आराजी संख्या 95, 98, 105, 404, 405, 420 में मुकेश व जमु का 1/5 हिस्सा है व बस्तीराम का 1/5 हिस्सा था। बस्तीमल ने अपना 1/5 हिस्सा रेखा देवी को विक्रय कर दिया व भूमि उसके नाम दर्ज हो गई। खाता संख्या 292 की आराजी संख्या 5 रकबा 20 बीघा 15 बिस्वाा में अपीलार्थी का 1/5 हिस्सा दर्ज है, यह जमीन पहले मुकेश व जमु के नाम पर थी, जिन्होनें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से इस आराजी में से उनको 2/5 हिस्सा था, उसमें से 1/5 हिस्सा यानि 20 बीघा 18 बिस्वा में से 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि अपीलार्थी फर्म जरिये भागीदार को विक्रय कर दिया एवं कृष्णा माईन्स ने अपनसे हिस्सा गीता पत्नि श्री भेरूलाल कलाल को विक्रय कर दिया, इस प्रकार 2 बीघा 2 बिस्वा की मालिक काबिज गीता व सुनिल चले आ रहे है और उनके कब्जे चली आ रही है। विक्रय की गई भूमि का कब्जा विक्रय के समय ही विक्रेता ने क्रेता को सुपुर्द कर दिया। इसी प्रकार खाता संख्या 295 की आराजी संख्या 65, 91, 407, 428, 949/428 कुल किता 5 रकबा 26 बीघा 14 बिस्वा में मुकेश व जमु ने कथित जमीन के खसरा नम्बर 65 रकबा 21 बीघा 5 बिस्वा में अपना हिस्सा पारसमल पिता भंवरलाल माली को विक्रय कर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 198/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/204) **कृष्णा माइन्स एंड मिनरल्स् बनाम श्रीमती किरण देवी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिया जिसके नाम पर नामान्तरकरण संख्या 918 दिनांक 08.07.2014 को आई और उस पर पारसमल का कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार खाता संख्या 76 में आज भी मुकेश एव जमु का 1/5 हिस्सा है परन्तु प्रत्यर्थी-1 व 2 ने खाता संख्या 295 एवं 76 के संबंध में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की केवलमात्र खाता संख्या 292 जिसमें मुकेश व जमु ने अपनी जमीन का विक्रय सन् 2004 में किया जाकर कब्जा अपीलार्थी को सुपुर्द कर दिया, उसके 14 वर्षों बाद केवल नामान्तरकरण संख्या 585 के संबंध में ही अपील पेश की गई तथा उसमें जानबुझकर अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि उस खाते में प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 को कोई नाम सन् 2005 के बाद दर्ज नहीं था तथा उन्होनें सारे तथ्यों को छिपाते हुए व मौजुदा अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाते हुए गलत अपील पेश की, चूंकि उस अपील में अपीलार्थी पक्षकार नहीं था, इस कारण प्रत्यर्थी-1 व 2 तथा 3 व 4 से मिलीभगत कर अपील को स्वीकार करा नामान्तरकरण संख्या 585 को निरस्त करा दिया ताकि अप्रत्यक्ष रूप से अपीलान्ट का नाम खाते से हट जाये जबकि अपीलान्ट के नाम स्वीकृत म्युटेशन के विरूद्ध कोई अपील पेश नहीं की गई जो कि एक पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर स्वीकृत किया गया। जब तक पंजीकृत विक्रय विलेख को निरस्त नहीं किया जावें, तब तक अपीलार्थी के हक में स्वीकृत नामान्तरकरण को निरस्त नहीं किया जा सकता है, न ही प्रत्यर्थी-1 व 2 को इसका अधिकार है। प्रत्यर्थीगणों द्वारा मिलीभगत करते हुए वर्तमान खातेदार अपीलार्थी को बिना पक्षकार बनाये मूल नामान्तरकरण को निरस्त करवा दिया। प्रत्यर्थीगण अधीनस्थ न्यायालय समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं गए, उनके द्वारा भूमियों को विक्रय करने का कोई कथन प्रस्तुत नहीं किया। न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमियों की वर्तमान स्थिति ज्ञात करने का कोई प्रयास किया गया जो अपेक्षित था, यदि वर्तमान खातेदारों की स्थिति का परिक्षण किया जाता तो प्रत्यर्थीगणों द्वारा भूमियों को विक्रय करने की स्थिति साफ होती। विवादित भूमि अपीलार्थी द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से क्रय की जाकर उनके नाम खाते दर्ज है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय समक्ष उनको पक्षकार नहीं बनाया गया, न कोई नोटिस जारी किया एवं न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया जबकि अपीलार्थी सद्भाविक क्रेता होने से हितबद्ध पक्षकार है, ऐसें वर्तमान अपील पेश करने हेतु अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी की भी पेश किया गया। अपीलाधीन निर्णय अपीलार्थी के परोक्ष पारित किये जाने से उसे निर्णय की ससमय जानकारी न हो सकी और जानकारी प्राप्त होते ही हस्तगत अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय को अपास्त किये जाने का निवदेन किया। यह भी निवेदन किया गया कि प्रत्यर्थीगण को कोई हक व अधिकार लगता हो तो वह सक्षम न्यायालय में विक्रय पत्र निरस्त कराने का वाद पेश कर विक्रय पत्र निरस्त करवा वांछित दाद प्राप्त कर सकता है। अपने कथनों समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये- 1. 2010(2) सिविल टाईम्स-सुप्रीम कोर्ट-पेज 462 2. आरआरटी 2007(2) पेज 939 3. आरआरटी 2013(2) पेज 887 4. 2014(3) डीएनजे (राज.) पेज 1132 5. आरबीजे 2010 पेज 289 6. आरआरडी 1995 पेज 64 7. आरआरटी 2018(2) पेज 1355 8. डीएनजे 2015-रेवेन्यु-पेज 202 9. आरआरडी 1974 पेज 113 **प्रत्यर्थी-1 से 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रस्तुत किया कि** प्रत्यर्थी-1 व 2 के पिता श्री शेषमल की वह दो पुत्रियां होकर उसके भाई श्री मुकेश एवं उनकी पत्नि श्रीमती जमु देवी वारिसान है, परन्तु श्री शेषमल के देहान्त उपरान्त श्री मुकेश एवं श्रीमती जमुदेवी द्वारा श्री शेषमल की खातेदारी भूमि का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 198/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/204) **कृष्णा माइन्स एंड मिनरल्स् बनाम श्रीमती किरण देवी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नामान्तरकरण केवल उनके पक्ष में स्वीकृत करा लिया जबकि श्री शेषमल की खातेदारी भूमि में प्राकृतिक वारिसान होने से उनका भी हित निहित है। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी उनको कभी नहीं थी, जानकारी होते ही अपील अन्तर्गत धारा-75 मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद समक्ष वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 व 2 श्रीमती किरण देवी एवं डिम्पल द्वारा तहसीलदार, देवगढ़ द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 585 दिनांक 04.09.1998 को निरस्त फरमाया जावा आवश्यक था क्योंकि वक्त नामान्तरकरण श्री शेषमल के वारिसान की जांच नहीं की गई जबकि हिन्दु विधि के अनुसार उनका भी श्री शेषमल की भूमि बराबर हिस्सा निहित है और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-40 के तहत भी उनका नाम नामान्तरकरण में दर्ज होना प्रावधित है। उक्त सभी बिन्दुओं पर विचार विश्लेषण उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी-1 व 2 की अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया जो पूर्णतया विधि सम्मत होने से उसमें कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। जहां तक अधीनस्थ न्यायालय समक्ष मयाद के बिन्दु का प्रश्न था, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में विधिवत चर्चा उपरान्त मयाद के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपील को अन्दर मयाद शुमार किया। यदि अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित है तो उसके समक्ष न्यायालय में वाद की कार्यवाही करनी चाहिए क्योंकि नामान्तरकरण एक समरी कार्यवाही है, जिसमें किसी के हक व अधिकार तय नहीं किये जा सकते है। अंत में अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 से 3 द्वारा अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय को यथावत रखे जाने का अनुरोध किया। अपने कथनों के समर्थन अधिवक्ता द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये-

1. आरआरटी 2011(1) पेज 432
2. वेर्स्टन लॉ केसेज-राज-युसी-2006-पेज 501
3. आरआरडी 1991 पेज 540
4. आरआरडी 1994 पेज 308
5. आरआरटी 2003(1) पेज 157
6. आरआरडी नव.2004 पेज 727

प्रत्यर्थी तहसीलदार देवगढ़ की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजकीय पेरोकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान परिशीलन किया।

यहा सवप्रर्थम मयाद के बिन्दु एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-96 जा.दी. पर भी विवेचन किया जाना उचित होगा। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-96 जा.दी. का संलग्न कर निवेदन किया कि राजस्व रेकर्ड में विवादित भूमि अपीलार्थी द्वारा क्रय किये जाने से उसके नाम दर्ज है, आलौच्य आदेश अपीलार्थी के परोक्ष पारित किया गया जबकि अपीलार्थी हितबद्ध व्यक्ति है, अतः अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-96 जा.दी. का स्वीकार योग्य है। अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि के क्रय किये जाने के कथन एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये जिससे वह क्रित भूमि का सद्भाविक क्रेता होना जाहिर होता है जिसे अधीनस्थ न्यायालय समक्ष पक्षकार बनाया जाना था जो नहीं किया गया, ऐसें में अपीलार्थी हस्तगत प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है, जिससे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-96 जा.दी. का स्वीकार किया जाता है। इसके अतिरिक्त दौराने बहस, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के खण्डन में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील मयाद बाहर पेश की। मयाद उपशमन हेतु

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 198/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/204) **कृष्णा माइन्स एंड मिनरल्स् बनाम श्रीमती किरण देवी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रमुख कारण अपीलाधीन निर्णय की कार्यवाही में उसे न तो पक्षकार बनाया गया, न उसे सुना गया, ऐसे में परोक्ष रूप से पारित निर्णय की जानकारी अपीलार्थी को ससमय नहीं हो सकी। प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों, अपील पर मनन करने एवं शपथ पत्र के आधार पर न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम स्वीकार की जाकर प्रस्तुत अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है। इसके अतिरिक्त दौराने बहस, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के खण्डन में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जहां तक अधीनस्थ न्यायालय समक्ष मयाद के बिन्दु पर किये गये विनिश्चय पर प्रस्तुत कथनों का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए तार्किक विनिश्चय किया, जिस कोई हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकनानुसार प्रथम दृष्टया वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि विवादित आराजीयात मुल पुरूष श्री शेषमल के नाम खातेदारी की थी। श्री शेषमल के एक पुत्र मुकेश, दो पुत्रियां किरण व डिम्पल एवं पत्नि श्रीमती जमु है। श्री शेषमल के स्वर्गवास उपरान्त तहसीलदार, देवगढ़ द्वारा विरासत का नामान्तरकरण संख्या-585 दिनांक 04.09.1998 को श्री मुकेश व श्रीमती जमु के नाम स्वीकृत किया गया। उनके द्वारा विवादित भूमि में से कुछ भूमियों का विभिन्न व्यक्तियों एवं अपीलार्थी को किया गया जिसका राजस्व रेकर्ड में क्रेतागण के नाम अंकन किया जाने के कथन किये गये। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रत्यर्थी संख्या-1 व 2 द्वारा आलौच्य नामान्तरकरण संख्या-585 दिनांक 04.09.1998 के 14 वर्षों बाद अपील प्रस्तुत की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा निर्णय दिनांक 16.07.2015 से आलौच्य नामान्तरकरण संख्या-585 निरस्त करते हुए तहसीलदार, देवगढ़ को प्रकरण इस आशय के साथ पुनः प्रेषित किया कि विधिक वारिसान की जांच कर विधि सम्मत नामान्तरकरण की कार्यवाही अमल में लाई जावें। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत अपील प्रस्तुत की गई। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से प्रमाणित है कि विवादित आराजीयात मुल पुरूष श्री शेषमल के नाम खातेदारी की थी। श्री शेषमल के एक पुत्र मुकेश, दो पुत्रियां किरण व डिम्पल एवं पत्नि श्रीमती जमु है। श्री शेषमल के स्वर्गवास उपरान्त तहसीलदार, देवगढ़ द्वारा विरासत का नामान्तरकरण संख्या-585 दिनांक 04.09.1998 को श्री मुकेश व श्रीमती जमु के नाम स्वीकृत किया गया, तत्समय शेषमल की पुत्रियां के नाम विरासतन नामान्तरकरण में नहीं किया गया। **हिन्दु उत्तराधिकार कानून एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-40 के तहत पिता की सम्पत्ति में निर्वसीयती पिता की सम्पत्ति पर पुत्र एवं पुत्रियों का समान अधिकार होता है, इस विधिक स्थिति को हम स्वीकार करते है। यह भी प्रावधित है कि संतान का अपनी पिता की सम्पत्ति में जन्म से ही अधिकार व हक निहित होता है।** उल्लेखनीय है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही संक्षिप्त प्रक्रिया एवं सरसरी कार्यवाही है जिसमें किसी पक्षकार के स्वत्व सम्बन्धी विषय बिन्दु का निर्धारण नहीं किया जा सकता। स्वत्व का निर्धारण एवं विनिश्चयन नियमित घोषणात्मक वाद प्रस्तुत कर एवं तदनुरूप विवाद्यक बिन्दु कायम किये जाकर साक्ष्य/शहादत द्वारा किया जाना विधि में प्रस्तावित है। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि पंजीकृत विक्रय विलेख से क्रय की है, पंजीकृत विक्रय विलेख को सक्षम न्यायालय से निरस्त कराये बिना नामान्तरकरण की संक्षिप्त प्रक्रिया में राजस्व रेकर्ड में तत्समय के अभिलिखित खातेदारों को उन्हे सुने बिना उनके विरूद्ध प्रतिकुल निर्णय पारित किये की कार्यवाही उचित नहीं है। जिस समय प्रत्यर्थी संख्या-1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील प्रस्तुत की उस समय वर्तमान अपील के अपीलार्थी विवादित भूमि के रेकर्डेड खातेदार थे। **इस प्रकरण में तहसीलदार, देवगढ़**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 198/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/204) **कृष्णा माइन्स एंड मिनरल्स् बनाम श्रीमती किरण देवी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

को भी पक्षकार संयोजित किया गया जिसे नियमावली में भूमिधारी माना गया। ऐसे में तहसीलदार देवगढ़ का यह कर्तव्य था कि वह अधीनस्थ न्यायालय समक्ष वर्तमान खातेदारान के संबंध में अवगत करावें और वर्तमान खातेदार को पक्षकार बनाये जाने हेतु न्यायालय समक्ष निवेदन करें परन्तु अधीनस्थ न्यायालय समक्ष तहसीलदार देवगढ़ द्वारा वर्तमान खातेदार के बारे में न्यायालय को अवगत नहीं कराया गया और वर्तमान अपीलार्थी को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। तत्समय के अभिलिखित खातेदार को प्रथम अपील में पक्षकार ही नहीं बनाया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद ने भी इस तथ्य पर गौर नहीं किया तथा निर्णय दिनांक 16.07.2015 पारित किया जो हमारी सुविचारित राय में प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित होने से समर्थन योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के परिशीलन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पंहुचे है कि तहसीलदार देवगढ़ द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष वर्तमान खातेदार के बारे में अवगत नहीं कराये जाने से न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा एक त्रुटिपूर्ण निर्णय दिनांक 16.05.2015 पारित हो गया जो जिसका हमारी संविचारित राय में समर्थन किया जाना न्यायोचित नहीं है। यह न्यायालय प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझता है कि वह प्रकरण में वर्तमान अपीलार्थी को पक्षकार संयोजित कर पक्षकारान को पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करें।

परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद का निर्णय दिनांक 16.07.2015 आपस्त किया जाता है और प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण में वर्तमान अपीलार्थी को पक्षकार संयोजित कर पक्षकारान को पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करें। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(सी.आर.देवासी)
R.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर